संख्या-11/2017/754/96-आयुष-2-2017-95/2015

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 मई, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में हर्बल गार्डेन व सभागार आदि हेतु उपलब्ध भू-विन्यास के लैण्डस्केपिन्ग एवं तदनुसार बाऊड्रीवाल एवं पम्प हाऊस के निर्माण हेतु धनराशि स्वाकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- नि0हो0/1041/बजट/प्लान/2017-18/4568, दिनॉक 26 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/2017/754/71-आयुष-2-2017-95/2015 दिनॉक 13 अप्रैल, 2017 के द्वारा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में हर्बल गार्डेन व सभागार आदि हेतु उपलब्ध भू-विन्यास के लैण्डस्केपिन्ग एवं तदनुसार बाऊड्रीवाल एवं पम्प हाऊस के निर्माण हेतु रू0 22681000/- की वित्तीय स्वीकृति निगत की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनॉक 13 अप्रैल, 2017 के प्रस्तर-2 में अनुदान संख्या 34 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत के स्थान पर अनुदान संख्या 34 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय एवं उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन संख्या-3 में मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट लखनऊ के स्थान पर मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ पढा जाय।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय।

4- उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

संख्या-11/2017/754(1)/96-आयुष-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, होमयोपैथी उ0प्र0 लखनऊ ।
6- प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग 1/2/(समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in